Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक सं0: 845 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक: 24 / 10 /2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.316 हे० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/29432/2017)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का कार्यालय पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/06/105/2017/एफ०सी०/, दिनांक 11.09.2024 एवं आपका पत्रांक-1104/1271 दिनांक 30.09.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा भागीरथी ईको-सेंसेटिव जोन मॉनिटरिंग समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति की पूर्ति की स्थिति के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अपने पत्रांक-1369/12-1 दिनांक 07.10.2024 **(संलग्न-01)** से वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना मूल में संलग्न कर संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि विषयक प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम-1980 के तहत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

पत्रांकः- / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–1369/12–1, कोटबंगला, दिनांक 07/10/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती,

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याया मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.316 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का कार्यालय पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/105/2017/एफ0सी0, दिनांक– 11.09.2024,

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से भागीरथी ईको–सेंसेटिव जोन मोनिटरिंग समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति की पूर्ति की स्थिति की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी द्वारा अपने कार्यालय पत्र–1486/पी0एम0जी0एस0वाई/सिं0ख0 दिनांक 28.09.2024 से अवगत कराया है भागीरथी ईको–सेंसेटिव ज़ोन मोनिटरिंग समिति के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.04.2022 के कम में भागीरथी ईको–सेंसेटिव ज़ोन मोनिटरिंग समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में याचक विभाग के स्तर से की गई कार्यवाही की अनुपालन आख्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू0आर0आर0डी0ए0 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक–1)

उक्त के अतिरिक्त भागीरथी ईको–सेंसेटिव जोन मोनिटरिंग समिति के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.04.2022 के कम में भागीरथी ईको–सेंसेटिव जोन मोनिटरिंग समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 में दिये गये निर्देशों के कम में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–1934/12–1 दिनांक 31.01.2023 द्वारा जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी को पूर्व में प्रेषित की गई है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक–2)

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 1369 /12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर देहरादून को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–1369/12–1, कोटबंगला, दिनांक 07/10/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती,

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.316 हे0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का कार्यालय पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/105/2017/एफ0सी0, दिनांक– 11.09.2024,**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से भागीरथी ईको–सेंसेटिव जोन मोनिटरिंग समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति की पूर्ति की स्थिति की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी द्वारा अपने कार्यालय पत्र–1486/पी0एम0जी0एस0वाई/सिं0ख0 दिनांक 28.09.2024 से अवगत कराया है भागीरथी ईको–सेंसेटिव जोन मोनिटरिंग समिति के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.04.2022 के कम में भागीरथी ईको–सेंसेटिव जोन मोनिटरिंग समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में याचक विभाग के स्तर से की गई कार्यवाही की अनुपालन आख्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू0आर0आर0डी0ए0 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक–1)**

उक्त के अतिरिक्त भागीरथी ईको–सेंसेटिव जोन मोनिटरिंग समिति के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.04.2022 के कम में भागीरथी ईको–सेंसेटिव जोन मोनिटरिंग समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 में दिये गये निर्देशों के कम में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–1934/12–1 दिनांक 31.01.2023 द्वारा जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी को पूर्व में प्रेषित की गई है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक–2)**

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 1369 /12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर देहरादून को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक-1934 / 12-1, कोटबंगला, दिनांक31/01/2023

To,

District Magistrate

Chairman, District Level Monitoring Committee

Bhagirathi Eco-sensitive Zone

District Uttarkashi

Respected Sir,

With reference to the minutes of the meeting of the Monitoring Committee(Henceforth MC), Bhagirathi Eco-sensitive Zone, held under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand on 13.12.2022, and the newspaper article in Hindustan times dated 29.01.2022 regarding the Violations in the construction of **Bayana-Syaba motor road**, following is the list of events and the actions and compliances taken/underway by the Uttarkashi Forest Division under Indian Forest Act 1927 and Forest Conservation Act 1980(Henceforth FCA). A much-detailed account shall be submitted shortly for the consideration of the Regional Empowered Committee (Henceforth REC), Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (Henceforth MoEFCC), and the Monitoring Committee Bhagirathi Eco-sensitive Zone (Henceforth BESZ).

- 26.06.2018: In-principle approval of the concerned road, spanning 6km and 3.318 hectare of Forest land (2.891 ha Reserved Forest and 0.427 of Civil Soyam Land) was given by the MoEFCC vide its letter no. 08B/UCP/06/105/2017/FC/576 dated 26.06.2018. 107 Deodar tress were cut by the Forest Corporation for the same after marking of the same by the Uttarkashi Forest Division.

- 26.11.2019: Work was started by the User Agency PMGSY without obtaining due permission of the Divisional Forest Officer (DFO) Uttarkashi Forest Division.

- Range Officer, Mukheem Range, Uttarkashi Forest Division vide its letter dated 28.01.2020, directed the officials of the PMGSY to stop the work.

- A full national lockdown in the background of the **COVID Pandemic** was enforced for 21 days in March-April 2020. The lockdown was gradually unlocked till fully in November 2020. A similar nation-wide State lockdowns of localized lockdowns were also enforced in April-May 2021. The resource mobilization for the COVID Pandemic related administrative efforts and the near universal COVID infection including the Forest staff as well affected the monitoring of the concerned road site as well.

- An H-2 case was registered by the Forest staff on 12.04.2020 against the PMGSY officials and the contractor for illegal muck dumping and damage to trees and forest environment. After due enquiry, charged were accepted by the violators and a penalty of Rs-431617/- was imposed under Indian Forest Act 1927, which was complied by the concerned on date 26.12.2020 and 25.02.2021.

CamScanner

- REC vide its meeting dated 01.07.2020 revoked the working permission for the concerned road and directed all work to be stopped henceforth.

- REC committee on its meeting dated 25.03.2021, recommended action on PMGSY under FCA 1980 for violating the due process and the conditions of the in-principle approval issued by MoEFCC regarding the concerned road. A penalty of Rs-262800/- was recommended by DFO Uttarkashi Forest Division under FCA 1980 to Nodal officer, Land Transfer, Uttarakhand by its letter dated 03.05.2021. The penalty was asked to be reconsidered by the Nodal officer vide its letter dated 15.05.2021. A revised penalty of Rs-871970/- was recommended by DFO, Uttarkashi Forest Division vide letter to Nodal officer, Land Transfer, Uttarakhand dated 08.06.2021. The penalty was imposed for complete Forest area for the concerned road, considering that road was constructed for approx. 4 Km out of total of proposed 6 km. the penalty was complied for by the User Agency by 27.10.2021.

- MC on its meeting dated 02.08.2021, directed to consider an alternate alignment proposed by the non-official member of the MC and do a comparative analysis of this alignment vis-à-vis the current alignment of the concerned road. The proposed comparative analysis of both the alignments were presented to the district level monitoring committee by the PMGSY officials on 29.12.2021.

- On its meeting dated 03.08.2022, MC directed for the visit of the Smt. Mallika Bhanot (Non-official member) and Shri. Hem Pandey (Retired IAS and Co-chair of the MC), Representative of the MoEFCC Regional office, Dehradun in the presence of the Local Officials to the alternate alignment suggested by the non-official member of MC and the present alignment, for consideration and on-site verification of the truth in comparative analysis presented earlier on paper by the PMGSY officials. The proposed visit took place on 15.11.2022 whereby Smt. Mallika Bhanot (Non-official member) and Shri. Hem Pandey (Retired IAS and Co-chair of the MC), Shri. Gajendra Narwade (AIG, Regional office MoEFCC, Representative of the MoEFCC Regional office Dehradun) inspected both the alignments in the presence of MLA Gangotri Assembly seat, DM Uttarkashi, DFO Uttarkashi Forest Division, PMGSY officials and all the concerned local forest and Revenue staff. In its report addressed to the MC, Shri. Gajendra Narwade (AIG, Regional office MoEFCC, Representative of the MoEFCC Regional office) has recommended the present alignment vis-à-vis alternate alignment proposed by the non-official member of the MC, citing various reasons not limited to the work already carried out on the present alignment. Mitigation measures for the Andhre-gad stream as recommended by the visiting members of the MC and the representative of the MoEFCC Regional Office, Dehradun, is in the final stages of being formulated.

- The Google earth images being used by the non-official members of the MC to attribute certain google earth imaged to certain month is a problematic scenario and may not be entirely accurate. As per the information of the undersigned, Google earth data is not a live data. It is updated from time to time, with some time lag. Even the lag at which it is updated is not fixed and it vary across time and space from approximately one-three years.

- Fresh violation was done at the current alignment of the concerned road on 24.09.2022. A fresh H-2 case was registered under section 26 of the Indian Forest Act 1927 against the local Villagers namely Surendra Singh, Pancham Singh, and Poorna Singh(residents of the Syaba Village,

CamScanner

Uttarkashi District). The concerned have accepted the charges and a penalty of Rs-179632/- has been imposed on the concerned persons. In addition to this, an H-2 case under Indian Forest Act has been registered against the PMGSY officials and BRIDCUL officials for constructing some part of the bridge at the Andre-gad stream site of the current Bayana-Syaba Road. PMGSY is the user agency for the Bayana-Syaba Motor Road but the uncompleted works of the bridge at the Andhre-gad stream site were to be executed by another agency BRIDCUL. The enquiry in this matter is underway to fix the responsibility between the PMGSY or BRIDCUL or both. Action shall be taken and compliance report given once the enquiry is completed.

- In addition to taking actions against the erring agencies and persons for violation in the Bayan-Syaba Road. Show-cause notices have been issued to the local Forest Guard, Forester, and the Range officers of the concerned range of the Uttarkashi Forest Division from the office of the undersigned, for prima-facia showing negligence in the discharge of the official duties in the fresh violations. The enquiry is underway and strict disciplinary action shall be taken against whosoever is found guilty in the enquiry.

This is for your kind information sir.

Regards

Puneet Tomar

Divisional Forest Officer

Uttarkashi Forest Division

Member-Secretary

District level monitoring committee

BESZ

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

दूरभाष एवं फैक्स नं0:–01374.223804 Email Id :- eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com

पत्रांक 1486 /पी0एम0जी0एस0वाई0/ सि0ख0 दिनांक 28/9/ 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.318 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/29432/2017)।

सन्दर्भ– कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 1559/12–1: देहरादून दिनांक 05.02.2024 एवं पत्र संख्या 8B/UCP/06/105/2017/FC Dated-I/81942/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग पर भागीरथी ईको सेंसटिव जोन मॉनिटरिंग समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट की संस्तुति की पूर्ति की स्थिति की पूर्ण जानकारी चाही गयी है, अवगत कराना है, कि आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 25.03.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति के बिना कार्य प्रारम्भ करने पर वनसरंक्षण अधिनियम 1980 के फलस्वरूप Guideline Para 1.21 (III) of FC Acte, 1980 के तहत रू0 87197.00 की पैनल्टी अधिरोपित की गई थी, जो धनराशि कैम्प फण्ड में दिनांक 27.10.2021 में जमा कर दी गयी थी। (प्रतिलिपि संलग्न) इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2022 को सम्पन्न BESZ मॉनिटरिंग समिति की बैठक के क्रम में विषयाकिंत मोटर मार्ग निर्माण में मानकों एवं नियमों के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में पी0एम0जी0एस0वाई0 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर से जांच करवाकर एक सप्ताह में रिर्पोट प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 (ग0क्षे0) देहरादून की अध्यक्षता में चार सदस्यों की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर जांचोपरान्त विस्तृत रिर्पोट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी को प्रेषित कर दी गयी थी, (प्रतिलिपि संलग्न) तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या 2346/पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0/विधिवत/दिनांक 16.12.2023 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण वांछित सूचना सहित आपका स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)।

अतः महोदय से अनुरोध है, कि उक्त मोटर मार्ग पर अपने स्तर से विधिवत स्वीकृति दिलवाने की कृपा करें।

मा0 उ0 प्र0 का0 वो0

1-10-2024

उत्तरकाशी वन प्रभाग
1793
12
05/10/24

28/09/24
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0
उत्तरकाशी

CamScanner

(1)

...sal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
...OAD/29432/2017 (...report.aspx?pid=FP...OAD/29432/2017) ...ana to Syaba motor road	ROAD294322017869	6129432869	26 Jun 2018	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 0/-, FC act 1980 para 1.21(iii): 871970/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 871970/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 06 Jul 2021 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 06 Oct 2021 Transaction Date: 27 Oct 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6111012481213G750LSyata.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD294322017869)
FP/UK/ROAD/34286/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34286/2018) Gangani To Bhangeli Motor Road.	ROAD342862018359	6134286359	09 Oct 2020	CA: 4545240/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 5695300/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 10240540/-	Paid	Not Done	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1111512121213UNXGVganganibhangelinpv.pdf)
FP/UK/ROAD/34286/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34286/2018) Gangani To Bhangeli Motor Road.	ROAD342862018914	6134286914	09 Oct 2020	CA: 887468/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 864612/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1752080/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 01 Jan 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 18 Jan 2021 Transaction Date: 23 Feb 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121127124212102460Qgangani_bhangeli_npv.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD342862018914)

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

आईटीबीपी पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, [illegible]
दूरभाष 0135-2608126, फैक्स 2608126
ईमेल urrda@yahoo.com.

पत्रांक [illegible] / ज०सू० / यू०आर०आर०डी०ए० / 2023 दिनांक 21 / [illegible] / 2023

सेवा में

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

विषय:- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2022 को भागीरथी ईको-सेंसेटिव जोन मॉनीटरिंग समिति की सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक 1922/21 15 (2016-17) दिनांक 30.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2022 को भागीरथी ईको-सेंसेटिव की जोन मॉनीटरिंग समिति की बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु सं0 1 में बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण में मानको एवं नियमों के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को जाँच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

- उक्त का संज्ञान लेते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण में मानको एवं नियमों के उल्लंघन की जाँच हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0 2661 दिनांक 21.01.2023 से मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून की अध्यक्षता में चार सदस्यों की टीम गठित कर प्रश्नगत मामले की विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यालय ज्ञाप की प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता यूआरआरडीए को भी पृष्ठांकित की गयी थी।

मुख्य अभियन्ता यूआरआरडीए द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप के आलोक में प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में मानको एवं नियमों के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार चार अभियन्ताओं क्रमशः श्री एस0एल0 कुड़ियाल अधिशासी अभियन्ता, श्री आशीष भट्ट प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, श्री कपिल रावत सहायक अभियन्ता तथा दीपक बहुगुणा अपर सहायक अभियन्ता को श्री गजेन्द्र प्रकाश नरवणे, सहायक महानिरीक्षक (वन) के द्वारा उनके कार्यालय फाईल सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/105/2017/एफ0सी0/1192 दिनांक 07.12.2022 प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न चार मानको/नियमो के उल्लंघन (Violations) पाये गये थे। इन्हीं चार नियमों के उल्लंघन पर सम्बन्धित अभियन्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के अन्दर नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

मानको/नियमो के उल्लंघन का विवरणः-

1. Start of work prior to the issuance of working order by the DFO. (सड़क का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना)।
2. Change in the approved alignment. (समरेखण से भिन्न स्थानों पर सड़क की कटिंग करना)।
3. Additional work has been done despite the work being stopped (कार्य रूकवाने के पश्चात् भी सड़क आगे तक कटिंग करना)।
4. Unscientifice muck dumping. (मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेका जाना)।

कारण बताओ नोटिस का जवाब सभी चारों अभियन्ताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर मुख्य अभियन्ता यूआरआरडीए को प्रस्तुत कर दिया गया। मुख्य अभियन्ता यूआरआरडीए द्वारा कारण बताओ नोटिस पर प्रस्तुत जवाब/स्पष्टीकरण की विवेचना व जांच समिति की आख्या के आधार पर प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर उन्हें अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत दण्डित किया गया है।

1. श्री एस0एल0 कुड़ियाल सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता दिनांक 06.08.2019 से 31.08.2021 तक अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहे। इनके कार्यकाल में बिन्दु सं0 3 कार्य रूकवाने के पश्चात् भी सड़क आगे तक कटिंग कार्य नहीं हुआ। इससे पूर्व यह सेवानिवृत्त हो चुके थे। इसलिए इनको बिन्दु सं0 1, 2 तथा 4 पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इनके द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण/जवाब की

विवेचना करने पर यह पाया गया कि श्री कुडियाल के कार्यकाल मे बिन्दु स0 1, 2 तथा 4 का उल्लंघन हुआ है। इसके विरूद्ध वन विभाग द्वारा बिन्दु सं0 1 तथा 4 के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत अर्थदण्ड के रूप में धनराशि वसूल कर राजकीय कोष में जमा की जा चुकी है। श्री कुडियाल अपने राजकीय दायित्वों/कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन न करने के लिए दोषी है। चूंकि यह सेवानिवृत्त हो चुके है। इसलिए इन्हें अनुशासनिक कार्यवाही के तहत निन्दित किया गया है। (संलग्नक–1)

2. श्री आशीष भट्ट प्रभारी अधिशासी अभियता बिन्दु स0 1, 2 तथा 4 में जो मानको एवं नियमो के उल्लघन का प्रश्न है, उक्त अवधि मे श्री आशीष भट्ट किसी भी रूप में प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण में मानको/नियमो के उल्लंघन के लिए दोषी नही है। बिन्दु स0 3 का उल्लंघन इनके कार्यकाल मे हुआ है। श्री आशीष भट्ट द्वारा अपने कार्य क्षेत्र मे हो रहे नियम विरूद्ध कार्य को रोकने तथा उच्च स्तर को सूचित करने की कार्यवाही नहीं की गयी। इनका दायित्व था कि समय-समय पर मौके का निरीक्षण करते तथा अधीनस्थ कार्मिकों को भी दिशा निर्देश देना चाहिए था कि वे निर्माण स्थल की सतत निगरानी रखें, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। यद्यपि निर्माण कार्य बन्द होने के उपरान्त अतिरिक्त कटिंग का कार्य ग्रामीणों द्वारा स्वयं करना स्वीकार किया गया है तथा उसके विरूद्ध वन विभाग द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड वसूला गया है। श्री आशीष भट्ट राजकीय कार्य के प्रति अपने कर्तव्यो/दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन न करने के लिए दोषी है।

इन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए निन्दित किया गया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति न होने पावे। (संलग्नक–2)

3. श्री कपिल रावत कार्य प्रारम्भ होने के समय से आतिथि तक प्रश्नगत मोटर मार्ग के सहायक अभियन्ता है। इन्हें चारों बिन्दुओं पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसका स्पष्टीकरण इनके द्वारा दिया गया है। स्पष्टीकरण की विवेचना करने के उपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा सभी चारों मानको/नियमों के उल्लंघन के लिए इनके द्वारा अपने कर्तव्यो/दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया गया। इसलिए उक्त अनियमितताओं के लिए दोषी है। इन्हें कर्तव्यो/दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही के तहत निम्न प्रकार दण्डित किया गया है।

1) निन्दित किया गया है।
2) कड़ी चेतावनी दी गयी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने पावे।
3) एक वेतन वृद्धि अनावर्तक (Non recurring) रूप से रोकी गयी है। (संलग्नक–3)

4. श्री दीपक बहुगुणा, कार्य प्रारम्भ होने के समय से प्रश्नगत मोटर मार्ग के अपर सहायक अभियन्ता हैं। इन्हें चारों बिन्दुओं पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसका स्पष्टीकरण इनके द्वारा दिया गया है। स्पष्टीकरण की विवेचना करने के उपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा सभी चारों मानको/नियमों के उल्लंघन के लिए इनके द्वारा अपने कर्तव्यो/दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया गया। इसलिए यह उक्त अनियमितताओं के लिए दोषी है। श्री दीपक बहुगुणा प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में सबसे नजदीकी सीधे जुडे हुए कार्य प्रभारी थे, इसलिए निर्माण कार्य में हुयी अनियमिततओं के लिए इनकी प्रमुख जिम्मेंदारी बनती है। इन्हें अनुशासनिक कार्यवाही के तहत निम्न प्रकार दण्डित किया गया है।

1) निन्दित किया गया है।
2) कड़ी चेतावनी दी गयी है तॉकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने पावे।
3) एक वेतन वृद्धि अनावर्तक (Non recurring) रूप से रोकी गयी है। (संलग्नक–3)

5. मार्ग पर कार्यरत ठेकेदार श्री पूर्णानन्द व्यास को पी0एम0जी0एस0वाई0 की आगामी निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित करने की कार्यवाही की जा रही है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिन्दु सं0 1,3,4 में मानको तथा नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध किये गये कार्यो के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत यथोचित कार्यवाही की गयी है तथा उनके विरूद्ध वांछित धनराशि भी राजकीय कोष में जमा की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रकरण से सम्बन्धित पीएमजीएसवाई के कार्मिकों को उनके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही के कारण मानको एवं नियमों के विरूद्ध हुए कार्यो के लिए अनुशासनिक कार्यवाही के तहत दण्डित किया गया है। प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 26.11.2019 को प्रारम्भ हुआ था तथा दिनांक 14.05.2020 को कार्य बन्द कर दिया गया था। मार्च 2020 से पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण लाकडाउन लग गया था। जिस कारण भी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण व अनुश्रवण नहीं हो पाया। इस महामारी से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रभावित रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भारत सरकार की एक समयबद्ध ध्वजवाहक योजना है, इसलिए निर्धारित अवधि मार्च 2024 से पूर्व प्रत्येक दशा में मोटर

मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निरस्त की जा सकती है। परिणामस्वरूप लक्षित बसावट मोटर मार्ग से संयोजित होने से रह जायेगी, तथा इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य सरकार पर पड़ेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कृपया प्रकरण की गंभीरता के मध्येनजर निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटवाने तथा निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

(उदय राज सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0आर0आर0डी0ए0

CamScanner

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून.
दूरभाष 0135 2608125 फैक्स 2608126.
मेल urrda@yahoo.com.

पत्रांकः ५५८ /वनभूमि/यू0आर0आर0डी0ए0/2023 दिनांक ०४/०६/2023

सेवा में,

आशीष भट्ट
प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सि0ख0,
उत्तरकाशी।

विषयः—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में निर्माणाधीन बयाणा से स्याबा मो0मा0 के निर्माण में मानकों एवं नियमों के उल्लंघन किये जाने पर कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण/जवाब के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ—इस कार्यालय का पत्रांक 3021 दिनांक 27.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस मोटर मार्ग निर्माण में मानकों एवं नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध मे चार बिन्दुओं पर जारी किया गया था। चार बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है—

1. सड़क का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना।
2. समरेखण से भिन्न स्थानों पर सड़क की कटिंग करना।
3. कार्य रूकवाने के पश्चात् भी सड़क आगे तक कटिंग करना।
4. मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेका जाना।

इस सम्बन्ध में आपका स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 13.03.2023 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रकरण में जांच/विवेचना हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक 2661/दि0 21.01.2023 द्वारा मुख्य अभियन्ता गढवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। जांच समिति की आख्या एवं आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नानुसार निष्कर्ष परिलक्षित होता है।—

1) सड़क का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना— बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग के निर्माण की कार्य प्रारम्भ की तिथि 26.11.2019 थी तथा निर्माण कार्य में रोक लगाने की तिथि 14.05.2020 थी। उक्त अवधि में श्री आशीष भट्ट के नियंत्रण में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य नहीं था। इनके द्वारा प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में दिनांक 31.08.2021 को कार्य भार ग्रहण किया। इसलिए बिना अनुमति के कार्य प्रारम्भ किये जाने के मामले में श्री आशीष भट्ट उत्तरदायी नहीं है।

2) समरेखण से भिन्न स्थानों पर सड़क की कटिंग करना—
इस बिन्दु का उत्तर भी बिन्दु सं0 1 में ही समाहित है।

3) कार्य रूकवाने के पश्चात् भी सड़क आगे तक कटिंग करना— श्री आशीष भट्ट द्वारा अवगत कराया गया है कि वह खण्ड में दिनांक 01.09.2021 से 28.04.2022 दिनांक 06.6.2022 से 13.07.2022, 23.08.2022 से 02.09.2022, 24.09.2022 से 14.10.2022 तथा 21.02.2023 से वर्तमान तक प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य कर रहे है। इनका यह कहना है कि मेरे द्वारा उक्त अवधि में न तो किसी अधिकारी/कर्मचारी, न ही ठेकेदार या अन्य किसी व्यक्ति को कार्य करने हेतु आदेशित/निर्देशित किया गया। प्रश्न यह है कि जब मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 14.05.2020 को तत्काल प्रभाव से कार्य बन्द करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया था तथा दिनांक 17.05.2020 को अपर सहायक अभियंता तथा ठेकेदार की उपस्थिति में कार्य स्थल पर कार्य बन्द करने की पुष्टि की गयी है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार ने

दिनांक 01.07.2020 को उक्त मोटर मार्ग की निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अग्रिम आदेशो तक रोक लगा दी गयी थी। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बन्द होने के उपरान्त अतिरिक्त कटिंग का कार्य श्री आशीष भट्ट के कार्यकाल में ही हुआ। यद्यपि अतिरिक्त कटिंग कार्य ग्रामीणों द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया है। जिसके विरूद्ध वन विभाग द्वारा राजिवाद दायर कर अर्थदण्ड के रूप में रू0 179632/— की धनराशि जमा की गयी है। प्रभारी अधिशासी अभियन्ता का यह कहना उचित नहीं है कि मेरे द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण का कोई आदेश नहीं दिया गया था। खण्ड के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य करते हुए यह उनकी पूर्ण जिम्मेदारी थी कि

D:\Draft\

Scanned with OKEN Scanner

CamScanner

प्रश्नगत मोटर मार्ग में कार्य बन्द होने के उपरान्त पूर्ण रूप से सतर्क रहते तथा अधीनस्थों को भी मौके पर जाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित करते तथा कार्य न होने देते। लेकिन इनके द्वारा इतने महत्पूर्ण मामले में अपने स्तर से कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। यह इनकी घोर लापरवाही तथा राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता
परिलक्षित होती है। जबकि यह मामला इको सेन्सटीव जोन के अन्तर्गत था तथा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में बैठके भी हो चुकी थी। यह एक गम्भीर मामला था। जिसका संज्ञान इनके द्वारा नहीं लिया गया।

4) मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेका जाना–

इस बिन्दु का उत्तर भी बिन्दु सं0 1 में ही समाहित है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण की विवेचना करने पर यह तथ्य सामने आता है कि बिन्दु सं0 1, 2 तथा 4 में जो मानको एवं नियमो के उल्लंघन का प्रश्न है, उक्त अवधि में श्री आशीष भट्ट प्रश्नगत मोटर मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिए निर्माण कार्य में मानको/नियमो के उल्लंघन के लिए दोषी नहीं पाये जाते है। लेकिन आरोप के बिन्दु सं0 3 के लिए इनके द्वारा कर्तव्यो/दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप इनके कार्यकाल में अतिरिक्त निर्माण कार्य ग्रामीणों द्वारा कर दिया गया। जो इनकी लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक है।

इतने महत्वपूर्ण एवं गम्भीर मामले में श्री आशीष भट्ट प्रभारी अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजकीय कार्यो के प्रति उदासीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन न करने के लिए निम्नानुसार दंडित किया गया है।

1) कड़ी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने पावे।
2) निन्दित किया जाता है।

08/6/23
(आर0पी0सिंह)
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

CamScanner

पत्रांक: 447 /वनभूमि/यू0आर0आर0सी0ए0/2023 दिनांक 08/06/2023

सेवा में,

कपिल रावत
सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई रि0ख0,
उत्तरकाशी।

विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में निर्माणाधीन बयाणा से स्याबा मो0मा0 के निर्माण मे मानको एवं नियमो के उल्लंघन किये जाने पर कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण/जवाब के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः–इस कार्यालय का पत्रांक 3021 दिनांक 27.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस मोटर मार्ग निर्माण में मानकों एवं नियमो के उल्लंघन के सम्बन्ध में चार बिन्दुओं पर जारी किया गया था। चार बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है–

1. सड़क का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना।
2. समरेखण से भिन्न स्थानों पर सड़क की कटिंग करना।
3. कार्य रूकवाने के पश्चात् भी सड़क आगे तक कटिंग करना।
4. मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेंका जाना।

इस सम्बन्ध में आपका स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 15.03.2023 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रकरण में जांच/विवेचना हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक 2661/दि0 21.01.2023 द्वारा मुख्य अभियन्ता गढवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। जांच समिति की आख्या एवं आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नानुसार निष्कर्ष परिलक्षित होता है।–

1. सड़क का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना–

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा केवल वृक्षों के छपान व पातन की अनुमति दी गयी थी। कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति न तो आप द्वारा मागी गयी थी न ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी थीं। फिर भी दिनांक 26.11.2019 को आप तथा भूतपूर्व माननीय विधायक गंगोत्री, वन क्षेत्राधिकारी मुखेम रेन्ज, वन दरोगा, वन रक्षक एवं ठेकेदार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। माह अप्रैल 2020 में प्रभागीय वनाधिकारी को डा0 हेमन्त ध्यानी द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया जिसमें समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी से अनुमति लिये जाने का जिक्र किया गया था। शिकायत मिलने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2020 को कार्य रोकने हेतु आर्देशित किया गया। श्री एस0एल0 कुड़ियाल सेंवानिवृत्त, अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति के सम्बन्ध में शासन के शासनादेश दिनांक 26.09.2018 की जानकारी न होना बताया गया, जो मान्य नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को इस मामले की जानकारी मिलने पर दिनांक 25.03.2021 की आरईसी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति न लिये जाने के सम्बन्ध में Fc act के अन्तर्गत गाईड लाईन 1.21 के तहत रू0 871970/– पेनल एनपीवी की धनराशि केम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।

2. समरेखण से इतर विभिन्न स्थानो पर सड़क की कटिंग करना–

इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता श्री कपिल रावत का कहना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग की केएमएल फाईल वर्ष 2012 में प्रारम्भिक रूप से बनायी गयी थी। तत्समय पीएमजीएसवाई के कार्मिको को जीपीएस का प्रयोग/रीडिंग लेने का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। जिस कारण केएमएल फाईल त्रुटि पूर्ण बनीं होंगीं। मोटर मार्ग का रेखांकन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त मौके पर जो निशान देही की गयी थी, उसी निशान देही पर वृक्षो का छपान व कटान किया गया है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी जहाँ पेडो का

छपान/कटान हुआ था, उसी रेखाकंन पर किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गयी है कि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वहीं हुआ है जहाँ वृक्षो का छपान व कटान हुआ है। निर्माण में न ही कोई अतिरिक्त पेड़ काटे गये है न ही रेखाकंन के इतर कोई कटिंग की गयी है। इस सम्बन्ध में दूसरी केएमएल फाईल वास्तविक कटिंग के अनुसार बनाये जाने हेतु आरईसी की बैठक में निर्देशित किया गया है।

3. **कार्य रूकवाने के पश्चात् भी आगे तक कटिंग करना–**
इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता का कहना है कि दिनांक 14.05.2020 को सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य रोकने का आदेश ठेकेदार को निर्गत किया गया था। उक्त तिथि तक कुल 39 किमी0 कटिंग का कार्य किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 01.07.2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गयी थी। वन क्षेत्राधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2022 से अवगत कराया है कि माह सितम्बर में पूर्व की कटिंग के अतिरिक्त कटिंग कार्य किया गया है। निर्माण कार्य बन्द होने के उपरान्त आपका भी यह दायित्व था कि क्षेत्र की निगरानी रखते तथा समय-समय पर मौका निरीक्षण भी करते। अपने अधीनस्थ अपर सहायक अभियन्ता को भी निर्देशित करना चाहिए था कि प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण का कार्य रोके जाने के उपरान्त कोई निर्माण कार्य न होने पाये। वन विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वो का निर्वहन किया गया तथा अतिरिक्त कटिंग का मामला प्रकाश में लाया गया, लेकिन सहायक अभियन्ता द्वारा अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यो से विमुख रहे, जिस कारण लगभग 500 मी0 अतिरिक्त कटिंग का कार्य बिना अनुमति के मौके पर पाया गया। यद्यपि यह कार्य ग्रामीणो द्वारा किया गया है तथा इसके विरूद्ध वन विभाग द्वारा राजिवाद दायर कर अर्थदण्ड के रूप में ग्रामीणों से रू0 179632/– की धनराशि जमा की गयी है। सहायक अभियन्ता द्वारा इस मामले में अपने उत्तरदायित्वों का सही निर्वहन न करते हुए घोर लापरवाही की है।

4. **मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेका जाना–**
इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता का कहना है कि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ होते ही उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.11.2019 से ठेकेदार को उत्सर्जित मलवे का निस्तारण स्वीकृति डम्पिंग जोन में ही करने हेतु निर्देशित किया गया था। पुनः दिनांक 19.03.2020 से अनुबन्ध की शर्त के तहत निर्माण कार्य से होने वाली क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, से भी अवगत कराया गया था। इसके बावजूद भी मलवा डम्पिंग जोन के अतिरिक्त अनियंत्रित रूप से फैका जाना पाया गया, जो नियम विरूद्ध है। आपके द्वारा लिखित आदेश/निर्देश देने के साथ–साथ आपका तथा सम्बन्धित कार्मिक का भी दायित्व बनता है कि दिये गये आदेश/निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निरन्तर निर्माण कार्य की निगरानी तथा अनुश्रवण करते रहे, जो आप द्वारा नहीं किया गया। यह आपकी घोर लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक है। यद्यपि मलवें के अनियंत्रित निस्तारण किये जानें के विरूद्ध वन विभाग द्वारा राजिवाद पंजीकृत कर अर्थदण्ड के रूप में रू0 431617/– की धनराशि ठेकेदार से वसूल कर राजकीय कोष जमा कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में सहायक अभियन्ता श्री कपिल रावत को राजकीय कार्यो के प्रति उदासीन रहते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए निम्नानुसार दंडित किया गया है।

1) निन्दित किया जाता है।
2) कड़ी चेतावनी दी जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने पावे।
3) एक वेतन वृद्धि अनावर्तक (Non recurring) रूप से रोकी जाती है।

08/6/23
(आर0पी0सिंह)
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

CamScanner

(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)
प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई०टी० पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.
दूरभाष : 0135.2608125, फैक्स : 2608126.
ईमेल :urrda@yahoo.com.

पत्रांक: 453 / वनभूमि / यू०आर०आर०डी०ए० / 2023

दिनांक 07/06/2023

सेवा में,

श्री एस०एल० कुडियाल
सेवानिवृत्त, अधिशासी अभियन्ता
98, प्रगति विहार धर्मपुर
पो०आ०-आराघर, देहरादून-248001

विषयः—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में निर्माणाधीन बयाणा से स्याबा मो०मा० के निर्माण में मानको एवं नियमों के उल्लंघन किये जाने पर कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण/जवाब के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—इस कार्यालय का पत्रांक 3035 दिनांक 28.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस मोटर मार्ग निर्माण में मानकों एवं नियमो के उल्लंघन के सम्बन्ध में तीन विन्दुओं पर जारी किया गया था। चार विन्दुओं का विवरण निम्नवत् है—

1. सडक का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना।
2. समरेखण से भिन्न स्थानों पर सड़क की कटिंग करना।
3. मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेका जाना।

इस सम्बन्ध में आपका स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 15.03.2023 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रकरण में जांच/विवेचना हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक 2661/दि0 21.01.2023 द्वारा मुख्य अभियन्ता गढवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। जांच समिति की आख्या एवं आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नानुसार निष्कर्ष परिलक्षित होता है।—

1. **सड़क का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना—**
   प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा केवल वृक्षों के छपान व पातन की अनुमति दी गयी थी। कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति न तो आप द्वारा मागी गयी थी न ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी थी। फिर भी दिनांक 26.11.2019 को आप तथा भूतपूर्व माननीय विधायक गंगोत्री, वन क्षेत्राधिकारी मुखेम रेन्ज, वन दरोगा, वन रक्षक एवं ठेकेदार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। माह अप्रैल 2020 में प्रभागीय वनाधिकारी को डा0 हेमन्त ध्यानी द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया जिसमें समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी से अनुमति लिये जाने का जिक्र किया गया था। श्री एस०एल० कुड़ियाल सेवानिवृत्त, अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति के सम्बन्ध में शासन के शासनादेश दिनांक 20.09.2018 की जानकारी न होना बताया गया, जो मान्य नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को इस मामले की जानकारी मिलने पर दिनांक 25.03.2021 की आरईसी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति न लिये जाने के सम्बन्ध में Fc act के अन्तर्गत गाईड लाईन 1.21 के तहत रू0 871970/— पेनल एनपीवी की धनराशि केम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।

2. **समरेखण से इतर विभिन्न स्थानो पर सड़क की कटिंग करना—**
   इस सम्बन्ध में आपका कहना है कि कि अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो0नि0वि0 कार्यालय के पत्र दिनांक 29.03.2010 से स्वीकृत समरेखण में वन विभाग द्वारा छपान/पातन किया गया था। स्वीकृत समरेखण में दिये गये Longitudinal Gradient के अनुसार ही कार्य किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गयी है कि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वहीं हुआ है जहाँ वृक्षो का छपान व कटान हुआ है। निर्माण में न ही कोई अतिरिक्त पेड़ काटे गये है न ही रेखाकंन के इतर कोई कटिंग की गयी है। इस सम्बन्ध में दूसरी केएमएल फाईल वास्तविक कटिंग के अनुसार बनाये जाने हेतु आरईसी की बैठक में निर्देशित किया गया है।

CamScanner

3. मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेका जाना–

इस सम्बन्ध में सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का कहना है कि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ होते ही सहायक अभियन्ता ने अपने पत्र सं0 182 दिनांक 28.11.2019 से ठेकेदार को उत्सर्जित मलवे का निस्तारण स्वीकृति डम्पिंग जोन में ही करने हेतु निर्देशित किया गया था। पुनः दिनांक 19.03.2020 से अनुबन्ध की शर्त के तहत निर्माण कार्य से होने वाली क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, से भी सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया था कि मलवा डम्पिंग जोन में डालना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी मलवा डम्पिंग जोन के अतिरिक्त अनियंत्रित रूप से फैका जाना पाया गया, जो नियम विरूद्ध है। सहायक अभियन्ता द्वारा लिखित आदेश/निर्देश देने के साथ-साथ आपका तथा सम्बन्धित कार्मिकों का भी दायित्व बनता है कि दिये गये आदेश/निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निरन्तर निर्माण कार्य की निगरानी तथा अनुश्रवण करते रहते, जो आप द्वारा नहीं किया गया। यह आपकी घोर लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक है। यद्यपि मलवे के अनियंत्रित निस्तारण किये जाने के विरूद्ध वन विभाग द्वारा राजिवाद पंजीकृत कर अर्थदण्ड के रूप में रू0 431617/– की धनराशि ठेकेदार से वसूल कर राजकीय कोष जमा कर दी गयी है।

श्री एस0एल0 कुड़ियाल सेवानिवृत्त, अधिशासी अभियन्ता ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी अवगत कराया है कि 22.03.2020 से कोरोना महामारी के कारण देश भर में सम्पूर्ण लॉकडाउन हुआ था। जिस कारण दो माह तक कार्य स्थल का निरीक्षण सम्भव नहीं हो पाया था, जिसके कारण उक्त निर्माण कार्य भी प्रभावित रहा। श्री एस0एल0 कुड़ियाल स्वयं माह मई 2020 में कोरोना के कारण होम क्वारनटाइन में रहे। इनके द्वारा दूरभाष से ही सम्बन्धित अधिनस्थ कार्मिकों को कार्य रोकने तथा पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में आपको राजकीय कार्यो के प्रति उदासीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से निर्वहन न करने के लिए निन्दित किया जाता है।

09/6/23

(आर0पी0सिंह)
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

CamScanner

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून.
दूरभाष 0135.2608125, फैक्स 2600126.
ईमेल :urrda@yahoo.com.

पत्रांकः 436 /वनभूमि/यू0आर0आर0डी0ए0/2023

दिनांक 21 /06/2023

सेवा में,

श्री दीपक बहुगुणा
अपर सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिं0ख0,
उत्तरकाशी।

विषयः—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में निर्माणाधीन बयाणा से स्याबा मो0मा0 के निर्माण में मानको एवं नियमों के उल्लंघन किये जाने पर कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण/जवाब के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः—इस कार्यालय का पत्रांक 3029 दिनांक 27.02.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग निर्माण में मानको एवं नियमो हेतु चार बिन्दुओं के सम्बन्ध में पत्र जारी किया गया था। चार बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है—

1. सड़क का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना।
2. समरेखण से भिन्न स्थानों पर सड़क की कटिंग करना।
3. कार्य रूकवाने के पश्चात् भी सड़क आगे तक कटिंग करना।
4. मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेका जाना।

इस सम्बन्ध में आपका स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 13.03.2023 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रकरण में जांच/विवेचना हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक 2661/दि0 21.01.2023 द्वारा मुख्य अभियन्ता गढवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। जांच समिति की आख्या एवं आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नानुसार निष्कर्ष परिलक्षित होता है।

1. **सड़क का निर्माण कार्य शासनादेश के विपरीत प्रभागीय वनाधिकारी की अनुमति लिए बगैर प्रारम्भ किया जाना—**

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा केवल वृक्षों के छपान व पातन की अनुमति दी गयी थी। कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति न तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा मागी गयी थी न ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी थी। फिर भी दिनांक 26.11.2019 को भूतपूर्व माननीय विधायक गंगोत्री, अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसवाई उत्तरकाशी, वन क्षेत्राधिकारी मुखेम रेन्ज, वन दरोगा, वन रक्षक एवं ठेकेदार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। माह अप्रैल 2020 में प्रभागीय वनाधिकारी को शिकायत मिलने पर उनके द्वारा दिनांक 29.05.2020 को कार्य रोकने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को इस मामले की जानकारी मिलने पर दिनांक 25.03.2021 की आरईसी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति न लिये जाने के सम्बन्ध में Fc act के अन्तर्गत गाईड लाईन 1.21 के तहत रू0 871970/— पेनल एनपीवी की धनराशि केम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रभागीय वनाधिकारी की बिना अनुमति के कार्य प्रारम्भ कर लगभग 6 माह तक निर्माण कार्य चलता रहा।

2. **समरेखण से इतर विभिन्न स्थानो पर सड़क की कटिंग करना—**

इस सम्बन्ध में आपका कथन है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग की केएमएल फाईल वर्ष 2012 में प्रारम्भिक रूप से बनायी गयी थी। तत्समय पीएमजीएसवाई के कार्मिको को जीपीएस का प्रयोग/रीडिंग लेने का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। जिस कारण केएमएल फाईल त्रुटि पूर्ण बनी होगी। मोटर मार्ग का रेखांकन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त मौके पर जो निशान देही की गयी थी, उसी निशान देही पर वृक्षो का छपान व कटान किया गया है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी जहाँ पेड़ो का छपान/कटान हुआ था, उसी रेखाकंन पर

28

CamScanner

किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गयी है कि मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वहीं हुआ है जहाँ वृक्षो का छपान य कटान हुआ है। निर्माण में न ही कोई अतिरिक्त पेड काटे गये है न ही रेखाकंन के इतर कोई कटिंग की गयी है।

3. कार्य रूकवाने के पश्चात् भी आगे तक कटिंग करना–
इस सम्बन्ध में आपका कथन है कि दिनांक 14.05.2020 को सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य रोकने का आदेश ठेकेदार को निर्गत किया गया था। उक्त तिथि तक कुल 3.9 किमी0 कटिंग का कार्य किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार द्वारा भी अपने पत्र दिनाक 01.07.2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गयी थी। वन क्षेत्राधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2022 से अवगत कराया है कि माह सितम्बर में पूर्व की कटिंग के आगे अतिरिक्त नई कटिंग का कार्य किया गया है। निर्माण कार्य बन्द होने के उपरान्त भी आपका यह दायित्व था कि क्षेत्र की निगरानी रखते तथा समय–समय पर मौका निरीक्षण भी करते। यदि ग्रामीणों द्वारा कार्य बन्द होने के बाद कटिंग की जा रही थी, तो उसे रोकना चाहिए था तथा इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। वन विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वो का निर्वहन किया गया तथा अतिरिक्त कटिंग का मामला प्रकाश में लाया गया। आप अपने दायित्वों एवं कर्तव्यो से विमुख रहे, जिस कारण लगभग 500 मी0 अतिरिक्त कटिंग का कार्य बिना अनुमति के मौके पर होना पाया गया। यद्यपि यह कार्य ग्रामीणो द्वारा किया जाना उनके द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अतिरिक्त कटिंग के विरूद्ध वन विभाग द्वारा राजिवाद दायर कर अर्थदण्ड के रूप में ग्रामीणों से रू0 179632/– की धनराशि वसूल कर जमा की गयी है। आप द्वारा इस मामले में अपने उत्तरदायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन न करते हुए घोर लापरवाही की गयी है।

4. मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे को स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना से अलग अनियंत्रित रूप से फेंका जाना–
इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.11.2019 से ठेकेदार को उत्सर्जित मलवे का निस्तारण स्वीकृति डम्पिंग जोन में ही करने हेतु निर्देशित किया गया था। पुनः दिनांक 19.03.2020 से अनुबन्ध की शर्त के तहत निर्माण कार्य से होने वाली क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, से भी अवगत कराया गया था। इसके बावजूद भी मलवा डम्पिंग जोन के अतिरिक्त अनियंत्रित रूप से फैका जाना पाया गया, जो नियम विरूद्ध है। आपने अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर रहकर नियम विरूद्ध हो रहे कार्य को नहीं रोका न ही उच्चाधिकारियों को सूचना दी। उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये लिखित आदेश/निर्देश का पालन सुनिश्चित करना अधिनस्थ कर्मचारी का भी दायित्व होता है। जो आप द्वारा नहीं किया गया। यह आपकी घोर लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक है। यद्यपि मलवे के अनियंत्रित निस्तारण किये जाने के विरूद्ध वन विभाग द्वारा राजिवाद पंजीकृत कर अर्थदण्ड के रूप में रू0 431617/– की धनराशि ठेकेदार से वसूल कर राजकीय कोष जमा कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में आपको राजकीय कार्यो के प्रति उदासीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन भलीभॉति न करने हेतु निम्नानुसार दंडित किया जाता है।

1) निन्दित किया जाता है।
2) कड़ी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने पावे।
3) एक वेतन वृद्धि अनावर्तक (Non recurring) रूप से रोकी जाती है।

08/6/23

(आर0पी0सिह)
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

CamScanner